10

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
बिहार कौशल विकास मिशन
बिहार, पटना।

आदेश संख्या–BSDM/संविदा नियुक्ति/स्था0–163/2021 पटना, दिनांक–

आदेश

संविदा के आधार पर मिशन प्रबन्धक (परियोजना), बिहार कौशल विकास मिशन के नियोजन संबंधी गठित समिति की अनुशंसा के आलोक में श्री संजीव रंजन नीलमणि, पिता– स्व0 कुमार सुरेश, पता–अशोक बिहार कॉलनी, पो0–कोल्हुआ पैगम्बरपुर, थाना–अहियापुर, जिला–मुजफ्फरपुर, बिहार–843108 को बिहार कौशल विकास मिशन, श्रम संसाधन विभाग के मिशन प्रबन्धक (परियोजना) के पद पर उनके योगदान की तिथि से अगले 01(एक) वर्ष के लिए संविदा के आधार पर नियोजित किया जाता है।

2. पारिश्रमिक/मानदेय के रूप में प्रतिमाह रू0– 60,000/–(साठ हजार) मात्र देय होगा एवं कार्य संतोषजनक पाये जाने के उपरान्त पुनः संविदा की अवधि विस्तारित की जा सकती है तथा मानदेय के रूप में प्रति वर्ष पाँच प्रतिशत की वृद्धि की जा सकती है

3. इनका मुख्यालय (वर्त्तमान पदस्थापन स्थल) बिहार कौशल विकास मिशन, श्रम संसाधन विभाग, नियोजन भवन, बिहार, पटना होगा।

4. यह नियुक्ति बिल्कुल ही अस्थायी है, और इसे किसी भी समय बिना कारण बताए समाप्त किया जा सकता है।

5. शैक्षणिक योग्यता/जाति/अनुभव एवं अन्य प्रमाण पत्रों अथवा चरित्र में कोई गड़बड़ी पाये जाने पर उनके विरूद्ध कानूनी/अनुशासनिक कारवाई की जाएगी एवं उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी।

6. नियुक्ति/पदस्थापन आदेश के एक माह के अन्दर उम्मीदवार को पदस्थापन स्थल (मुख्यालय) पर योगदान करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि के उपरान्त बिना स्पष्ट कारण के योगदान स्वीकृत नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलो में नियुक्ति पदाधिकारी (प्रधान सचिव–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार कौशल विकास मिशन, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना) की पूर्वानुमति अनिवार्य होगी।

7. योगदान के समय नोटरी पब्लिक द्वारा निर्गत इस आशय का शपथ–पत्र देना होगा कि वे किसी अपराधिक मामले में संलिप्त/नामित आरोपी नहीं है एवं किसी मामले में उन्हें न्यायालय द्वारा सजा नहीं मिली है।

8. उम्मीदवार को स्वलिखित शपथ–पत्र होगा कि वे किसी सरकारी/निजी नौकरी/नियोजन में वर्त्तमान में नहीं है।

9. प्रथम योगदान/पदस्थापन स्थल पर योगदान देने के लिए कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

10. इन नियोजित कर्मी को छुट्टी की अनुमान्यता नहीं होगी। उन्हें सरकारी सेवक को अनुमान्य आकस्मिक अवकाश मात्र ही अनुमान्य होगा।

11. संविदा के आधार पर नियोजित मिशन प्रबन्धक (परियोजना) सरकारी सेवक नहीं माने जायेंगे और सरकारी सेवक को अनुमान्य किसी भी सुविधा के वे हकदार नहीं होंगे। संविदा के आधार पर नियोजन के बाद सरकारी सेवा में नियमितीकरण का उनका कोई भी दावा नहीं बनेगा।

12. संविदा की अवधि समाप्ति के पूर्व यदि नियोजित व्यक्ति का पुनर्नियोजन नहीं होता है तो वैसी स्थिति में निर्धारित तिथि को उनका नियोजन स्वतः समाप्त माना जाएगा और इसके लिये कोई अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।

13. नियोक्ता तथा संविदा के आधार पर नियोजित किए जानेवाले उम्मीदवार के बीच विहित-प्रपत्र में एकरारनामा सम्पन्न किया जाएगा।

14. नियोजित व्यक्ति को निदेशित किया जाता है, कि वे पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर प्रधान सचिव-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार कौशल विकास मिशन, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के समक्ष उपस्थित होकर विहित प्रपत्र में एकरारनामा सम्पन्न करेंगे। एकरारनामा सम्पन्न होने के बाद 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर विनिर्दिष्ट पदस्थापन पर योगदान नहीं देने पर यह नियोजन स्वतः समाप्त माना जाएगा।

15. यह नियोजन संविदा अवधि समाप्ति के पूर्व उभय पक्षों द्वारा एक माह की पूर्व सूचना देकर या एक माह की संविदा राशि एकमुश्त देकर समाप्त की जा सकेगी।

16. संविदा पर नियोजित कर्मी द्वारा राज्य सरकार एवं बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा निर्धारित दायित्वों का निर्वहन करना होगा।

17. संविदा पर नियोजित कर्मी पर प्रशासनिक नियंत्रण बिहार कौशल विकास मिशन, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना का होगा।

ह0/-
मिशन निदेशक
बिहार कौशल विकास मिशन
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-BSDM /संविदा नियुक्ति/स्था0-163/2021 पटना, दिनांक-

प्रतिलिपिः- श्री संजीव रंजन नीलमणि, पिता- स्व0 कुमार सुरेश, पता- अशोक बिहार कॉलनी, पो0-कोल्हुआ पैगम्बरपुर, थाना-अहियापुर, जिला-मुजफ्फरपुर, बिहार-843108 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-
मिशन निदेशक
बिहार कौशल विकास मिशन
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–BSDM /संविदा नियुक्ति/स्था0–163/2021–806 पटना, दिनांक–25-07-22

प्रतिलिपिः–श्री गजेन्द्र मिश्रा, संयुक्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2.श्रीमती प्रियेश नन्दिनी, आई0टी0मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3. प्रोजेक्ट डायरेक्टर, E&Y, बिहार कौशल विकास मिशन को BSDM के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

25/07/2022

मिशन निदेशक
बिहार कौशल विकास मिशन
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।

संविदा के आधार पर नियोजन हेतु एकरारनामा

यह एकरारनामा बिहार कौशल विकास मिशन, श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना एवं चयनित होने वाले श्री .... के बीच निम्नलिखित शर्तो के साथ की जा रही हैः-

1. यह नियोजन केवल .... के लिए किया गया है।
2. यह नियोजन संविदा के आधार पर केवल 12 (बारह) माह के लिए किया गया है, लेकिन विशेष परिस्थिति में कार्य संतोषप्रद पाये जाने की स्थिति में अगले 01 (एक) वर्ष के लिए सेवा विस्तारित किया जा सकता है।
3. इनका मुख्यालय (वर्त्तमान पदस्थापन स्थल) बिहार कौशल विकास मिशन, श्रम संसाधन विभाग, नियोजन भवन, बिहार, पटना होगा।
4. संविदा के आधार पर नियोजित श्री .... पारिश्रमिक/मानदेय के रूप में प्रतिमाह रू0- 60,000/-(साठ हजार) मात्र देय होगा एवं कार्य संतोषजनक पाये जाने के उपरान्त पुनः संविदा की अवधि विस्तारित किया जा सकता है तथा पारिश्रमिक/मानदेय के रूप में प्रति वर्ष पाँच प्रतिशत की वृद्धि भी की जा सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई राशि या भत्ता देय नहीं होगा।
5. इस तरह के नियोजित व्यक्ति को इस नियोजन के आधार पर सरकारी सेवकों को देय कोई अन्य सुविधा अनुमान्य नहीं होगा।
6. इस आधार पर भविष्य में नियमित नियुक्ति हेतु अथवा अन्यथा कोई दावा अनुमान्य नहीं होगा।
7. यदि संविदा के अवधि के समाप्ति के पूर्व उसका विस्तार नहीं होता है तो नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी। इस हेतु कोई आदेश निर्गत करना अपेक्षित नहीं होगा।
8. संविदा पर नियोजित व्यक्ति की सेवा स्थानान्तरणीय नहीं होगी।
9. इस प्रकार का नियोजन संविदा अवधि (कंट्रैक्ट पीरियड) समाप्ति के पूर्व उभय पक्षों द्वारा एक माह की पूर्व सूचना देकर या एक माह की संविदा राशि एकमुश्त देकर समाप्त की जा सकेगी।
10. संविदा पर नियोजन के पश्चात् दोनों पक्षों को एकरारनामा की उपरोक्त शर्ते मान्य होगी। नियोजित व्यक्ति उपरोक्त एकरारनामा के किसी भी शर्ते का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में एकरारनामा स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

मिशन निदेशक
बिहार कौशल विकास मिशन

संविदा पर नियुक्त पदाधिकारी/ कर्मचारी
का हस्ताक्षर